भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3339

(20 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों के पूर्ण होने में विलंब

3339. श्रीमती राजाथी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वित्त वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत पूर्ण किए गए आवासों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या आवासों के पूर्ण होने की दर में कोई गिरावट आई है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान इन आवासों को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक राज्य को जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2024-25) ने यह सिफारिश की है कि निर्माण की बढ़ती लागतों और मुद्रास्फीति के दबावों को देखते हुए, इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दिया जाना चाहिए?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय, दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे पात्र ग्रामीण परिवारों को मूलभूत सुविधाओं सहित सहायता प्रदान करते हुए "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 4.14 करोड़ मकानों का लक्ष्य आवंटित किया है, जिसकी तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 3.90 करोड़ से अधिक मकानों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा दिनांक 16.03.2026 तक 2.98 करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल 34,57,276 मकानों का निर्माण किया गया है।

कार्यान्वयन की गति राज्यों में और समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती रहती है तथा यह निर्मित किए जाने वाले शेष मकानों की संख्या, एसईसीसी 2011 एवं आवास+ 2018 सूचियों की संतृप्ति, राज्यों द्वारा लक्ष्यों की तुलना में मकानों की शीघ्र स्वीकृति, राज्य कोषागार से निधि का समयबद्ध निर्गम, लाभार्थियों को शीघ्र निर्माण पूर्णता के लिए प्रेरित करना, प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियाँ, दिवंगत लाभार्थियों के उत्तराधिकार संबंधी विवाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में विलंब तथा आम/विधान सभा/पंचायत निर्वाचनों के कारण कभी-कभी प्रशासनिक विलंब पर भी निर्भर करता है। राज्यों ने एसएनए-स्पर्श नामक निधि निर्गम के नवीन मॉडल को भी अपनाया है, जिससे लाभार्थियों के लिए निधि निर्गम में प्रबंधन एवं जवाबदेही में सुधार होगा।

पीएमएवाई-जी के चरण II की पूर्णता की समय-सीमा मार्च, 2029 है।

(घ) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत विगत दो वर्षों में प्रत्येक राज्य को जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2024-25) ने सिफारिश की है कि जरूरतमंद लाभार्थियों को अपेक्षित संवर्धित सहायता प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता घटक में उचित वृद्धि करते हुए प्रति इकाई सहायता को संशोधित किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत, मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये तथा पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्यों (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों सहित) में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता के अतिरिक्त, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से 90/95 श्रम दिवस की अकुशल श्रम मजदूरी की सुविधा भी प्रदान की जाती है। शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना अथवा किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत के माध्यम से 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है।

पीएमएवाई-जी, लाभार्थियों को नल से जलापूर्ति, विद्युत कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, सौर लालटेन एवं खाना पकाने की स्वच्छ ऊर्जा, सौर छत आदि के लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ अभिसरण करती है।

मंत्रालय में इकाई वित्तीय सहायता बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 20.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3339 के भाग (घ) में उल्लिखित विवरण

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जारी केंद्रीय अंश (करोड़ रुपये में)

क्र.सं	राज्य	2023-24 से 2024-25*
1	अरुणाचल प्रदेश	270.19
2	असम	12076.20
3	बिहार	7526.87
4	छत्तीसगढ	2,074.99
5	गोवा	0.00
6	गुजरात	1,471.00
7	हरियाणा	47.56
8	हिमाचल प्रदेश	137.32
9	जम्मू और कश्मीर	2,266.26
10	झारखंड	1,264.11
11	केरल	72.40
12	मध्य प्रदेश	6,616.55
13	महाराष्ट्र	2,461.29
14	मणिपुर	377.59
15	मेघालय	1,697.70
16	मिजोरम	187.47
17	नागालैंड	386.66

18	ओडिशा	6,033.98
19	पंजाब	104.31
20	राजस्थान	2,225.09
21	सिक्किम	2.54
22	तमिलनाडु	2,032.62
23	त्रिपुरा	2,541.10
24	उत्तर प्रदेश	7,397.96
25	उत्तराखंड	516.28
26	पश्चिम बंगाल	0.00
27	अंडमान और निकोबार	5.45
28	दादरा और नगर हवेली	0.00
29	दमन और दीव	0.00
30	लक्षद्वीप	0.00
31	पुदुचेरी	0.00
32	आंध्र प्रदेश	312.25
33	कर्नाटक	218.53
34	तेलंगाना	0.00
35	लद्दाख	21.99
	कुल	**60,346.25**